न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : पीयुष समारिया
आई०ए०एस०

मुकदमा सं0: 20/2008 प्रार्थना पत्र 14(4)

मंदिर कुटी श्री गणेशदास जी महाराज ग्राम आलूदा जरिये भक्तगणः—

1. प्रभातीलाल पुत्र नारायण जाति मीना निवासी डागोलाई
2. रामावतार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति मीना निवासी डागोलाई
3. रामजीलाल पुत्र घासीलाल जाति मीना निवासी इटारडा
4. रामेश्वर पुत्र रामजीलाल मीना निवासी इटारडा
5. जगन्नाथ पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी आलूदा
6. जयदेवा पुत्र भोंरीलाल जाति मीना निवासी आलूदा

... प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दौसा (हाल तहसील नांगल राजावतान)
2. आवंटन सलाहकार समिति दौसा जरिये उपखंड अधिकारी, दौसा
3. ईदू खॉ पुत्र खाजू खां जाति मुसलमान निवासी हसनपुरा जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा दिनांक 14.6.2067 जिसके तहत अप्रार्थी नंबर 03 को वाके ग्राम आलूदा में स्थित भूमि खसरा नंबर 495 में से 06 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है व जिसका नंबर 59/67 है।

उपस्थिति : 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::— दिनांकः 24.09.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा ने दिनांक 14.6.1967 को अप्रार्थी नंबर 3 को वाके ग्राम आलूदा में स्थित भूमि खसरा नंबर 495 में से 06 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी नंबर 03 को वाके ग्राम आलूदा स्थित भूमि खसरा नंबर 495 में से 06 बीघा भूमि का किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन रूल्स 14(4) पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। तहसीलदार नांगल राजावतान से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 03 को दिनांक 14.6.1967 को वाके ग्राम आलूदा में स्थित भूमि खसरा नंबर 495 में से 06 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन विधि सम्मत प्रकिया के विपरीत एवं आवंटन रूल्स के समस्त नियमों की अवहेलना करके किया गया है। उक्त भूमि आवंटन के समय आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। आवंटन के दिन कोरम पूरा नहीं होने के बावजूद आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी नंबर 3 को आवंटन कर दिया। अप्रार्थी संख्या 3 कभी भी उक्त भूमि पर काश्त नहीं की है। आंवटित भूमि पर मंदिर कुटी गणेशदास जी महाराज का कब्जा आंवटन के पूर्व से चला आ रहा है व आज भी कब्जा है। उक्त भूमि मे गणेशदास जी महाराज का मेला भरता है एवं पशुओं के इकट्ठा होने के काम आती है। प्रश्नगत भूमि काश्त योग्य नही है। अतः आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा दिनांक 14.6.1967 जिसके तहत अप्रार्थी नंबर 03 को वाके ग्राम आलूदा स्थित भूमि खसरा नंबर 495 में से 06 बीघा भूमि का किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस मे दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा द्वारा दिनांक 14.06.1967 को अप्रार्थी संख्या 3 ईदू खॉ को खसरा नं0 495 मे से 6 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने पर विधिवत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। साथ ही आवंटन के लगभग 35 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो खारिज योग्य है। अत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 03 को बार–2 आवाज लगाई गई। अप्रार्थी 3 एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 बार बार आवाज लगाये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार नांगल राजावतान ने रिपोर्ट से अवगत कराया है कि ग्राम आलूदा के साबिक खसरा नंबर 495 हाल खसरा नंबर 1724 रकबा 0.23है0, खसरा नंबर 1733 रकबा 0. 12 हैं. खसरा नंबर 1740 रकबा 0.16है0, खसरा नंबर 1741 रकबा 0.06है0, खसरा नंबर 1742 रकबा 0.46है0 कुल किता 5 रकबा 1.03 है0 खातेदार गींगा खां पुत्र महताब खां जाति मुसलान सा0 देह एवं खसरा नंबर 1727 रकबा 0.33 है. खसरा नंबर 1728 रकबा 0.09 है. खसरा नंबर 1731 रकबा 0.24 है.खसरा नंबर 1738 रकबा 0.11 है. खसरा नंबर 1739 रकबा 0.08 है. किता 5 रकबा 0.85 है0 खातेदार अब्दुल वहीद पुत्र इंदू खां जाति मुसलमान साकिन देह दर्ज है। उक्त भूमि मौके पर मंदिर श्री गणेशदास जी की कुटिया की चारदीवारी परिसर में है जो मौके पर खाली है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं0 3 व उनके अधिवक्ता को बार बार आवाज लगाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। तहसीलदार नांगल राजावतान से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार ग्राम आलूदा के साबिक खसरा नंबर 495 हाल खसरा नंबर 1724 रकबा 0.23है0, खसरा नंबर 1733 रकबा 0.12 हैं. खसरा नंबर 1740 रकबा 0.16है0, खसरा नंबर 1741 रकबा 0.06है0, खसरा नंबर 1742 रकबा 0.46है0 कुल किता 5 रकबा 1.03 है0 गोगा खां पुत्र महताब खां जाति मुसलान सा0 देह एवं खसरा नंबर 1727 रकबा 0.33 है. खसरा नंबर 1728 रकबा 0.09 है. खसरा नंबर 1731 रकबा 0.24 है.खसरा नं0 1738 रकबा 0. 11 है. खसरा नंबर 1739 रकबा 0.08 है. किता 5 रकबा 0.85 है0 खातेदार अब्दुल वहीद पुत्र इंदू खां जाति मुसलमान साकिन देह दर्ज है। उक्त भूमि मौके पर मंदिर श्री गणेशदास जी कुटिया की चारदीवारी परिसर में है। जो मौके पर खाली है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उक्त भूमि का आवंटन सलाहकार समिति की बैठक कैम्प आलूदा मे आवंटन किया गया है जिस पर तहसीलदार एंव सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद है। अतः प्रार्थीगण का यह कथन उचित नही है कि कोरम की बैठक पूर्ण नही होने पर तहसीलदार द्वारा ही भूमि का आवंटन किया गया है। कैम्प आलूदा मे किया गया भूमि का आवंटन सही है। इसलिए प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आंवटन सलाहकार समिति की मुकाम आलूदा मे बैठक में दिनांक 14.6.1967 के द्वारा अप्रार्थी नंबर 03 को वाके ग्राम आलूदा स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 495 में से 06 बीघा भूमि का किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आवंटी को भूमि का किया गया आवंटन बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.09.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा